चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 16(1)एम.ई./ग्रुप–1/2020लूज   जयपुर, दिनांक : 29 APR 2020

–: आदेश :–

COVID-19 संक्रमण को विश्वव्यापी महामारी घोषित करने के मध्यनजर माह अप्रेल,2020 से माह अगस्त,2020 तक चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों के स्ट्रेन्थ पर कार्यरत पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों की सेवानिवृति अवधि में 5 माह से 1 माह तक की सेवा अवधि में निम्नानुसार अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	सेवानिवृत्ति का माह	अभिवृद्धि माह
1.	माह अप्रेल, 2020	05 माह
2.	माह मई, 2020	04 माह
3.	माह जून, 2020	03 माह
4.	माह जुलाई, 2020	02 माह
5.	माह अगस्त, 2020	01 माह

उक्त स्वीकृत्ति वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 102001873 दिनांक 28.04.2020 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,
29/4/2020
(सुनील शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव–I, वित्त (नियम) विभाग।
8. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य कर्मचारीयों की अधिवार्षिकी पश्चात् सेवावृद्धि हेतु कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 25.02.1976, 06.04.1978 एवं 04.01.1996 के क्रम में कार्मिक विभाग की अनुमति उपरान्त मन्त्रीमण्डल अनुमोदन आवश्यक होने के कारण कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर मंत्रीमण्डल की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों के स्ट्रेन्थ पर कार्यरत जिन पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति अवधि में सेवा विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है उनका औपचारिक अनुमोदन वित्त विभाग से प्राप्त करना सुनिश्चित करें ताकि उनके पेंशन प्रकरणों का सुगमता से निस्तारण हो सके।
9. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
10. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

29.4.20
(रमेश चन्द्र आर्य)
शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner